विवरण 7–ख
Statement 7-B

रेलवे बोर्ड
RAILWAY BOARD

बड़ी लाइन/मीटर लाइन/छोटी लाइन
B.G./M.G./N.C.

_____ रेलवे
(रिपोर्ट भेजने वाली रेलवे का पूरा नाम) Railway
(Full name of reporting Railway)

माल राजस्व सांख्यिकी
(प्रारंभिक यातायात के आधार पर)

GOODS REVENUE STATISTICS
(On originating basis)

मास.....19.....के आंकड़ For the month of.....19...
मास.....19.....की तुलना में compared with the month of19...

पण्य Commodity	माल डिब्बों की संख्या No. of wagons	भाड़ा रुपयों में Freight in rupees			वजन टनों में Weight in tonnes			टन किलोमीटर (हजार में) Tonne kilometres (In thousands)		
		फुटकर Smalls	पूरे डिब्बे Fulls	जोड़ Total	फुटकर Smalls	पूरे डिब्बे Fulls	जोड़ Total	फुटकर Smalls	पूरे डिब्बे Fulls	जोड़ Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
राजस्व पण्य कूट सूची के अनुसार Revenue As per commodity code list										

विवरण 7–ख

माल राजस्व सांख्यिकी

(प्रारंभिक यातायात के आधार पर)

अनुदेश

1. यह विवरण, विवरण 7-क की तरह, माल लेखाकरण के लिए बनाये गये मासिक 'समरी टेपों' से संकलित किया जायेगा। नीचे पैरा 6 में विनिर्दिष्ट रूप में दी गयी सूचना का टेप अगले महीने की 20 तारीख को अथवा उससे पहले रेलवे बोर्ड कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। जून, सितम्बर, दिसम्बर और मार्च में समाप्त होने वाली तिमाही का संचयी विवरण ही तदनुरूपी टेपों के साथ भेजा जाना चाहिए।

2. यह विवरण आमानवार प्रारंभिक यातायात के आधार पर संकलित किया जायेगा।

3. इस विवरण में मद "मालडिब्बों क. संख्या" का मतलब है मालडिब्बा भार में बुकिंग।

4. इस विवरण में उल्लिखित समूहों में क्रमशः निम्नलिखित विस्तृत पण्य शामिल हैं :—

समूह कूट		विस्तृत पण्य कूट
(*i*) कृषि उत्पाद	..	011–191
(*ii*) पशु और पशु उत्पाद	..	200–221
(*iii*) खान उत्पाद	..	231–441
(*iv*) खनिज उत्पाद	..	451–502
(*v*) वन्य उत्पाद	..	510–528
(*vi*) विनिर्मित माल	..	537–779
(*vii*) विविध राजस्व यातायात	..	806–952
(*viii*) कुल राजस्व अर्जक यातायात	..	011–952

(5) इस विवरण में केवल राजस्व यातायात का ब्यौरा ही दिया जाना चाहिए। लेकिन गैर-राजस्व यातायात यदि यंत्रीकृत हो तो उसका ब्यौरा देने में कोई हर्ज नहीं है। यदि कोई राजस्व यातायात यंत्रीकृत नहीं है तो उसे भी विवरण में शामिल करके एक अलग अनुबन्ध में दिखा देना चाहिए।

(6) पैरा 1 में उल्लिखित टेप का स्वरूप अनुबन्ध 'क' में दिया गया है। यह जरूरी नहीं है कि टेप किसी चुने हुए क्रम में हो।

प्रारंभिक आमान (लाइन)—प्राआ-का अभिप्राय है कूट रूप में प्रारंभिक आमान। 1 का अर्थ है बड़ी लाइन, 2 है मीटर लाइन और 3 है छोटी लाइन।

(क) कालम (1) पण्य कूट संख्या—पकू–का अभिप्राय है विस्तृत पण्य कूट संख्या जो समय-समय पर संशोधित पण्य कूट सूची में दी गयी हो।

Statement 7–B

Goods Revenue Statistics

(*On originating basis*)

Instructions

1. This statement, like Statement 7–A, is to be compiled from the monthly summary tapes created for freight accounting. While the tapes for both monthly and cumulative data should be sent every month in the format specified in para 6 below, so as to reach the Railway Board's office on or before the 20th of the following month, the cumulative statements of indivjdual railway need be sent only every quarter, showing the cumulatives for the months ending June, September, December and March.

2. The statement is to be compiled on originating basis gauge-wise.

3. The item "No. of wagons" in this statement refers to bookings in wagon-loads.

4. The groups referred to in this statement contain the following detailed commodities, respectively :—

Group code		*Detailed commodity codes*
(*i*) Products of agriculture	..	011–191
(*ii*) Animals and products of animals	..	200–221
(*iii*) Products of mines	..	231–441
(*iv*) Mineral oils	..	451–506
(*v*) Products of forests	..	510–528
(*vi*) Manufactures	..	537–779
(*vii*) Miscellaneous reveue traffic	..	806–952
(*viii*) Total revenue earning traffic	..	011–952

5. This statement should contain the details of revenue earning traffic only. There is, however, no objection in giving details of non-revenue traffic to the extent it is mechanised. Any revenue traffic, which is not mechanised, should also be included in the statement and also shown as a separate annexure.

6. The tape format referred to in para 1 is given in Annexure 'A'. The tape need not be in any sorted order.

Originating gauge—ORG—refers to originating gauge in coded form. 1 stands for broad gauge, 2 for metre gauge and 3 for narrow gauge.

(*a*) Col. (1) Commodity code number—COMOD—refers to detailed commodity code number as appearing in the commodity code list corrected from time to time.

(ख) कालम (2) मालडिब्बों की संख्या चौपहियों में—माडिस—का अभिप्राय है बीजकों से ली गयी मालडिब्बों की संख्या चौपहियों में। चूंकि माल बुनियादी कार्ड (गुड्स बेसिक कार्ड) में मालडिब्बों की संख्या (चौपहियों में) के लिए दशमलव लगाने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए बी० ओ० एक्स० मालडिब्बों की विषम संख्या को अगले उच्च अंक तक पूर्णांकित कर लिया जाता है और समसंख्या होने पर पूर्णांकित करना आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए, एक बी०ओ०एक्स० मालडिब्बा 3 चौपहियों के बराबर होगा, दो बी०ओ०एक्स० 5 चौपहियों के बराबर और 3 बी०ओ० एक्स० 8 चौपहियों के बराबर होंगे, इत्यादि।

(*b*) Col. (2) Number of wagons in four wheelers—NOWAG—refers to the number of wagons in four-wheelers as taken from the invoices. As there is no provision in the Goods Basic Card to accommodate a decimal for the number of wagons (in four-wheelers), odd number of BOX wagons are rounded off to the next higher digit and no rounding off is necessary in the case of even number. For example, one BOX wagon is equated to 3 four-wheelers, 2 Boxes equated to 5 four-wheelers and 3 Boxes to 8 four-wheelers and so on.

(ग) कालम (3) फुटकर—का अभिप्राय है बीजकों पर बुक हुआ यातायात, जहां कि कोई मालडिब्बा भार दर्ज न हो।

(*c*) Col. (3) Smalls—refers to the traffic as booked on the invoices, where no wagon loads have been recorded.

(घ) कालम (4) पूरे (मालडिब्बा भार)—का अभिप्राय है बीजकों पर बुक हुआ यातायात, जहां कि मालडिब्बा भार दर्ज किये गये हों।

(*d*) Col. (4) fulls—refers to the traffic as booked on the invoices, where wagon loads have been recorded.

(ङ) कालम (3) से (5), इकाई रुपयों में दिये जायेंगे, बिना किसी दशमलव के।

(*e*) Cols. (3) to (5)—are to be given in units of rupees without any decimal.

(च) कालम (6) से (8), इकाई टनों में दिये जायेंगे, बिना किसी दशमलव के।

(*f*) Cols. (6) to (8)—are to be given in units of tonnes without any decimal.

(छ) कालम (9) से (11), हजार में दिये जायेंगे।

(*g*) Cols. (9) to (11)—are to be given in thousands.

अनुबन्ध 'क'

टेप का स्वरूप

(रिकार्ड लम्बाई 80, ब्लाकिंग फैक्टर 24)

	विवरण		फील्ड
(*i*)	रेलवे कूट	..	1
(*ii*)	आमान कूट	..	2
(*iii*)	पण्य कूट	..	3–5
(*iv*)	महीना	..	6–7
(*v*)	वर्ष (वर्ष के अन्तिम दो अंक, जैसे 1982 के लिए 82)।		8–9
(*vi*)	दूरी क्षेत्र कूट	..	10
(*vii*)	मालडिब्बों की संख्या	..	11–17
मालडिब्बा भार यातायात	प्रभारित वजन टनों में (इकाई)		18–27
	प्रभारित भाड़ा रुपयों में (इकाई)		28–37
	टन किलोमीटर (हजार)	..	38–47
फुटकर यातायात	प्रभारित वजन टनों में (इकाई)		48–57
	प्रभारित भाड़ा रुपयों में (इकाई)		58–67
	टन किलोमीटर (हजार)	..	68–77
	सूचक प्रतीक (मासिक के लिए 'मा' और संचयी के लिए 'सं०')।		78
	रिकार्ड चिह्न	..	80

इस बात का ध्यान रखा जाय कि टेप और 7–ख में विवरण डेटा एक जैसा हो।

ANNEXURE 'A'

Tape Format

(*Record length* 80, *Blocking Factor* 24).

	Description		*Field*
(*i*)	Railway code	..	1
(*ii*)	Gauge code	..	2
(*iii*)	Commodity code	..	3–5
(*iv*)	Month	..	6–7
(*v*)	Year (last two digits of the year, e.g., 82 for 1982).	..	8–9
(*vi*)	Distance zone code	..	10
(*vii*)	Number of wagons	..	11–17
Fulls traffic	Charged weight in tonnes(units)	..	18–27
	Charged freight in rupees(units)	..	28–37
	Tonne kilometres (thousands)	..	38–47
Smalls traffic	Charged weight in tonnes (units)	..	48–57
	Charged freight in rupees (units)	..	58–67
	Tonne kilometres (thousands)	..	68–77
	Indication symbol ('M' for monthly, and 'C' for cumulative).		78
	Record mark	..	80

Care should be taken to see that the tape and the Statement 7-B contain identical data.